राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 2017 कैम्प ग्राम पंचायत लाधुवाला

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहुजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 84/2017

1. अनिल कुमार पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी लाधुवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – वादी

–:: बनाम ::–

1. साहबराम पुत्र हरलाल
2. उग्रसेन पुत्र श्री साहबराम
3. गोमती पत्नी साहबराम

} जाति जाट साकिन लाधुवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् खाता तकसीम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री मनोहर लाल सहारण अधिवक्ता — वादी
2. श्री हरीश सोनी अधिवक्ता — प्रतिवादी संख्या 1 ता 5

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 20.06.2017

वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, तहसील श्रीगंगानगर के चक 23 एल.एन.पी. की खतौनी संख्या 47/46 के मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 1 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25 में 5.313 हैक्टर नहरी मय खाला राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उपरोक्त रकबा जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम है वह जद्दी जायदाद है जो पूर्व में वादी के दादा श्री हरलाल के नाम से था जिन्होनें रजिस्टर्ड दस्तावेज घरू बंटवारा द्वारा रकबा प्रतिवादी संख्या 1 को बांटवारा में दे दिया था।

साझा खाता रहनें से लगान, आबियाना देनें में पानी की भराई खिचाई में कई प्रकार की व्यवहारिक दिक्कते आती है व बैक ऋण सुविधा व सरकारी अनुदान का पुरा फायदा नहीं मिल पाता है। इस कारण हक व हिस्सा अनुसार खाता तकसीम करवाना आवश्यक व जरूरी है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो कि प्रतिवादी संख्या 2 के नाजायज प्रभाव में है और वह बिना किसी घरू आवश्यक्ता के संयुक्त अविभाजित परिवार की सम्पत्ति को खुर्द बुर्द करनें की फिराक में रहता है व आये दिन दलालों के सम्पर्क में रहता है पूर्व में उसनें रकबा को बैय करनें की कोशिश की जिसको नजदीकी रिश्तेदारों के दखल के द्वारा ईकरारनामा निरस्त करवाया जाकर घरू बंटवारा करवाया गया।

वादी व प्रतिवादी नें आज से करीबन 5 वर्ष पूर्व काश्त की सुविधा हक व हिस्सा अनुसार परिवार के आपसी प्रेमभाव को कायम रखते हुए मौखिक रूप से घरेलु बंटवारा कर लिया था इस घरेलु बंटवारा के अनुसार प्रत्येक पक्ष अपनें हक व हिस्सा पर काबिज है व बिना किसी विघन के अपनें हक व हिस्सा के रकबा का उपयोग व उपभोग करता आ रहा है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

घरेलु बंटवारा के अनुसार प्रत्येक पक्ष में रकबा निम्न प्रकार से आया :–

1. वादी का हिस्सा :– चक 23 एल.एन.पी. के मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 1, 2, 9, 12, 19 कुल 1.265 हैक्टर नहरी मय खाला।
2. प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा :– चक 23 एल.एन.पी. के मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 3 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 कुल 2.783 हैक्टर नहरी मय खाला।
3. प्रतिवादी संख्या 2 नें अपना हिस्सा अपनें पिता के साथ रखा है इसलिये उसको अलग से कोई हिस्सा नहीं दिया गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 3 का हिस्सा :– चक 23 एल.एन.पी. के मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 8, 13, 18, 22, 23 कुल 1.265 हैक्टर नहरी मय खाला।

वादी नें कई बार प्रतिवादीगण से कहा कि घरू बंटवारा व हक हिस्सा अनुसार जिस प्रकार से प्रत्येक पक्षकार के हिस्सा में रकबा आया है उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करवानें के लिये आप सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी सहमति के ब्यान कर दे ताकि रकबा प्रत्येक पक्ष के नाम से हो सके। पहले तो आजकल आजकल करते रहे फिर आज से 10 रोज पूर्व कहनें लगे कि हम तो घरू बंटवारा को नहीं मानते है और ना ही आपके पक्ष में सहमति के ब्यान करते है। बस यही बिनाय दावा है जो कि वादीगण को प्रतिवादी के खिलाफ हासिल हुआ है।

अतः दावा पेश करके निवेदन है, कि दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

1. घोषित किया जावे के वादी व प्रतिवादी वाद पत्र की मद संख्या 8 में दर्ज रकबा के खातेदार काश्तकार है
2. इसी अनुसार खाता तकसीम किया जाकर लगान व आबियाना कायम किया जावे।
3. खर्चा मुकद्मा दिलाया जावे।
4. अन्य कोई आज्ञा जो न्याय संगत व हम वादीगण के हित में हो प्रदान की जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवम् प्रतिवादी के मध्य आपसी राजीनामा होनें के कारण न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादीगण एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये वादीगण की पहचान श्री मनोहरलाल सहारण अधिवक्ता तथा प्रतिवादीगण की पहचान श्री हरीश कुमार सोनी अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादीगण एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि गांव के मौतबिरान व्यक्तियो द्वारा वादी एवं प्रतिवादीगण का आपस में राजीनामा करवा दिया है, इस राजीनामा के अनुसार अपनें अपनें हक व हिस्सा पर काबिज है। राजीनामा अनुसार रकबा निम्नानुसार आया है :–

1. प्रथम पक्षकार अनिल कुमार का हिस्सा :– चक 23 एल.एन.पी. के मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 1, 2, 9, 12, 19 कुल 1.265 हैक्टर नहरी मय खाला।
2. पक्षकार साहबराम का हिस्सा :– चक 23 एल.एन.पी. के मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 3 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 कुल 2.783 हैक्टर नहरी मय खाला।
3. पक्षकार संख्या 2 नें अपना हिस्सा अपनें पिता के साथ रखा है इसलिये उसको अलग से कोई हिस्सा नहीं दिया गया है।
4. पक्षकार संख्या 3 गोमती का हिस्सा :– चक 23 एल.एन.पी. के मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 8, 13, 18, 22, 23 कुल 1.265 हैक्टर नहरी मय खाला।

राजीनामा के अनुसार डिक्री पारित की जावे उक्तराजीनामा पक्षकारान नें अपनी स्वेच्छा सहमति तथा बिना किसी जबर दबाव के इपनी इच्छा से पढ़ सुन समझ व सही मानकर अपनें हस्ताक्षर किये है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

लगातार 3

राज पैरोकार द्वारा राज्य सरकार की और से जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि वाद पत्र वर्णित भूमि का पक्षकारान के मध्य आपसी विवाद है राज्य पक्ष से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। सुनवाई राज्य पक्ष के हितो को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित किया जावे तो राज्य पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।

चुँकि प्रकरण में वादीगण एवम् प्रतिवादी के मध्य कोई प्रतिवाद नहीं होनें से तनकियात नहीं बनाई गई। वादी अनिल कुमार पुत्र साहबराम द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये। वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामे तथा शपथ पत्र पर बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्धान अधिवक्ता नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

हमने वादीगण एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्धान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। बाद अवलोकन वाद वादी स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 53 के तहत उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादीगण एवम् प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के मध्य भूमि का विभाजन निम्नानुसार किया जाता है :–

1. वादी अनिल कुमार पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी लाधुवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर का हिस्सा :– चक 23 एल.एन.पी. के मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 1, 2, 9, 12, 19 कुल 1.265 हैक्टर नहरी मय खाला।
2. प्रतिवादी संख्या 1 साहबराम पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी लाधुवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर का हिस्सा :– चक 23 एल.एन.पी. के मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 3 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 कुल 2.783 हैक्टर नहरी मय खाला।
3. प्रतिवादी संख्या 2 उग्रसेन पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी लाधुवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर नें अपना हिस्सा अपनें पिता के साथ रखा है इसलिये उसको अलग से कोई हिस्सा नहीं दिया गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 3 गोमती पत्नी साहबराम जाति जाट निवासी लाधुवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर का हिस्सा :– चक 23 एल.एन.पी. के मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 8, 13, 18, 22, 23 कुल 1.265 हैक्टर नहरी मय खाला।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 20.06.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम ग्राम पंचायत लाधुवाला के मजमे आम में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर